संख्या-पीसीएच-एचबी(1)2/04-टी0एस0-1- 1308-84
हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

सेवा में

समस्त
कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला-9 22 अप्रैल, 2011

विषयः तकनीकी सहायकों का कमीशन ढांचा व पैनल बनाने की अन्य शर्ते।

महोदय/महोदया,

तकनीकी सहायक को देय कमीशन तथा पैनल बनाने की अन्य शर्तों का मामला हिमाचल प्रदेश सरकार के विचाराधीन था। उनके प्रतिवेदनों पर गहन विचार-विमर्श करने तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्य की स्थिति को देखते हुऐ यह निर्णय लिया गया कि उनके पैनल बनाने की शर्तों का नियमन निम्न प्रकार से होगाः-

1. <u>देय कमीशनः-</u>

क) कमीशन की अनुपस्थिति में तकनीकी सहायक को पैनल में बने रहने की न्यूनतम राशि निम्न दर से देय होगीः-

- आठ वर्ष से पैनल में रखे गये तकनीकी सहायकों को ₹4000/-प्रतिमास।
- आठ वर्ष से अधिक अवधि तक पैनल में रखे गये तकनीकी सहायकों को ₹5000/-प्रतिमास।

यदि मासिक कमीशन उपरोक्त राशि से अधिक बनता है तो, उस अवस्था में वास्तविक कमीशन देय होगी न कि पैनल में बने रहने की न्यूनतम राशि। कमीशन ₹50,000/-तक के कार्य के लिए 2 प्रतिशत तथा मु0 ₹ 1.50 लाख तक 1.5 प्रतिशत की दर से देय होगी।

ख) यह निर्णय लिया गया है कि तकनीकी सहायक अब ₹1.50 लाख से अधिक लागत के तक के कार्यों को क्रियान्वित करने में कनिष्ठ अभियन्ता की सहायता करेंगे, जिसके. लिए उन्हें कुल लागत पर 1 प्रतिशत की दर से कमीशन देय होगी।

ग) यह देखा गया है कि मूल्यांकन मासिक आधार पर नहीं किया जाता है बल्कि किसी विशेष मास में इकटठा किया जाता है; जिसके कारण तकनीकी सहायक को पैनल में बने रहने हेतु देय न्यूनतम राशि तथा देय कमीशन के सम्बन्ध में अस्पष्टता हो रही है, जिसे स्पष्ट करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि तकनीकी सहायक को कमीशन संचित (Accrual) आधार पर देय होगा; यदि मूल्यांकन मासिक आधार पर नहीं

किया गया है। निम्न उदहारण ऐसी अवस्था में कमीशन बारे स्थिति स्पष्ट करता है:-

पैनल में बने रहने की न्यूनतम राशि मासिक आधार पर देय होगी जबकि देय कमीशन की गणना कुछ मास बाद भी हो सकती है। अतः यदि पैनल में बने रहने की न्यूनतम देय राशि मासिक आधार पर अदा की गई है, और मूल्यांकन 2 मास बाद किया गया है तो, उस स्थिति में देय राशि निम्न प्रकार से होगी:-

- दो मास (अप्रैल व मई) के लिए पैनल में बने रहने की न्यूनम देय राशि ₹4000/-प्रतिमास की दर से मु0 ₹8000/-
- 2 प्रतिशत, 1.5 प्रतिशत व 1 प्रतिशत की दर से अप्रैल व मई मास की कमीशन मु0 ₹14,000/- बनती है देय राशि की गणना जून में की जायेगी जो इस प्रकार से होगी मु0 ₹14,000-8000 = ₹6000/-। अतः जून माह में उसे मु0 ₹6000/- दिए जायेंगे। यह न्यूनतम देय राशि से अधिक है; इसलिए उसे पैनल में बने रहने की न्यूनतम राशि अलग से अदा नहीं की जायेगी।
- तथापि कमीशन केवल तभी देय होगी यदि स्कीम के रिकार्ड के अनुसार तकनीकी सहायक द्वारा मूल्यांकन समय-2 पर किया गया है, कार्य के अभिलेख तथा कार्यपूर्ति को प्रमाणित किया है ऐसा होने पर भी, उपरोक्त उदहारण में ऐसी स्थिति का वर्णन है जो, अपवाद हो सकती है तकनीकी सहायक का यह दायित्व है कि मुल्यांकन पाक्षिक आधार पर किया जाये जैसाकि मनरेगा में अनिवार्य किया गया है; या देरी से अदायगी करने हेतु उन्हें जुर्माना अदा करना होगा।

घ) तकनीकी सहायकों को अन्य विभागों के कार्य जिस हेतु उन्हें पंचायती राज विभाग अथवा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अधिकृत किया गया है, पर कमीशन मिलता रहेगा।

2. <u>कार्य सूची/जॉब चार्ट एंव अन्य उत्तरदायित्वः-</u>

तकनीकी सहायकों की कार्य सूची/जॉब चार्ट व दायित्व निम्न प्रकार से होंगे:-

1. तकनीकी सहायकों को लिखित में यह वचन देना होगा कि वह उन्हीं कार्यों को करेंगे जो पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किये जा रहे हैं। उन्हें किसी और व्यवसाय या सार्वजनिक या निजि क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें पंचायतों में हाजरी लगानी होगी (**प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक सप्ताह दो दिन**) वे यह सुनिश्चित करेंगे कि वे पूरे दिन ग्रम पंचायत मे उपलब्ध हैं। समस्त तकनीकी सहायक ग्राम पंचायत के सभी कार्यों के तकनीकी पर्यविक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे। उनके द्वारा प्राकलन बनाये जायेंगे, तकनीकी स्वीकृति दी जायेगी व मूल्यांकन किया जायेगा तथा ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे कार्यों की वास्तविक जांच भी की जायेगी। कार्यों की महत्वपूर्ण अवस्था पर वह अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। ग्राम पंचायतों के कार्यों को निष्पादित करते समय निर्धारित निर्देशन रेखाचित्र तथा डिजाईन के अनुरूप कार्य करवाना भी उनका दायित्व होगा।